



## आधुनिक समय में राजनीति क्षेत्र में महिलाओं का विकास

डॉ. छाया आर. सूचक  
आर्ट्स कॉलेज, विजयनगर  
जिला - साबरकांठा  
गुजरात भारत

सर्वहारा-वर्ग तब तक स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं कर सकतचा है । जब तक कि महिलाओं के लिए पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं कर ले । यदि महिलाओं को राजनीति में, सार्वजनिक कार्यों में सम्मिलित नहीं किया जाता, उन्हें रसोई की घुटन से बाहर नहीं निकाला जाता, उन्हें बराबर का दर्जा प्राप्त नहीं होता, तब तक वास्तविक स्वतन्त्रता की बात करना असंभव होगा, जनवाद की स्थापना करना भी असंभव होगा, समाजवाद की बात तो दूर ।

अपनी इसी सोच के कारण लेनिन ने सबसे पहले किसान-मजदूरों के प्रत्यक्ष संगठनों से अलग नारी संगठन बनाने की बात कही थी । उनके नेतृत्व में रूस की बोल्शेविक पार्टी में स्वतन्त्र महिला समूह का निर्माण हुआ था । यही दौर था जब विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन में भी प्रथम बार महिला-मुद्दे पर एक स्वतन्त्र ढाँचे के तहत लड़ने की शुरुआत हुई । लेनिन ने नारी आन्दोलन में मौजूद कई अवैज्ञानिक धारणाओं का भी विरोध किया । उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता का आशय स्वच्छन्दता (अराजकता) और पुरुष से मुक्ति का अर्थ यौन मुक्ति नहीं होता । इसे उन्होंने कम्युनिस्ट नैतिकता और विज्ञान के विरुद्ध बताया ।

उन्नीसवीं शताब्दी के पहले नारी-मुक्ति की लड़ाई सामाजिक आन्दोलनात्मक स्तर पर नारी समुदाय की लड़ाई के रूप में कभी नहीं लड़ी गई, और न ही इसका कोई दार्शनिक, वैचारिक आधार ही था । इस प्रकार औरत की अपनी स्वतन्त्र लड़ाई का वस्तुगत आधार पहली बार पूँजीवादी युग में ही पैदा हुआ । सोच के इसी धरातल पर भारत में भी कम्युनिस्ट पार्टी ने महिलाओं के संघर्ष के लिए स्वतंत्र महिला-संगठन की स्थापना की जिससे महिलाओं में आत्मविश्वास, नेतृत्व की क्षमता और स्वतन्त्र सोच विकसित हो तथा वे अपने अधिकारों को प्राप्त करने के आत्म-निर्भर बन सकें । हमारे यहाँ यह पहली शुरुआत थी जिसने महिला मुद्दे को एक स्वतन्त्र महिला संगठन के तहत उठाया । आजादी के आन्दोलन की बात हो या अन्य समस्या,

डॉ. छाया आर. सूचक

1Page



कम्युनिस्ट पार्टी के महिला संगठन अखिल भारतीय महिला फ़ैडरेशन ने पूरे जोर-शोर से उसे उठाया और लड़ा। इस लड़ाई में अन्य समान विचार वाले संगठनों का सहयोग भी रहा।

महिला फ़ैडरेशन का आधार गाँव, देहात और निचले तबके की महिलाएँ ही रहीं। उस दौर के प्रसिद्ध तेलगांना और तेभागा विद्रोह में महिलाओं की बड़ी भूमिका थी। इसमें लाल झंडे के तले महिलाओं ने 'नारीवाहिनी' बनाकर तथा हथियारों को लेकर गाँव की सुरक्षा का काम भी किया। इसके अलावा शोषित, पीड़ित तबके के अन्य कई आन्दोलनों में भी महिलाओं की भागीदारी हमेशा रही। इन लड़ाइयों के साथ-सात स्वयं महिला अत्याचार और शोषण से सम्बन्धित मुद्दों को भी इन्होंने बड़ी सक्रियता से उठाया। बलात्कार, दहेज, बाल-विवाह, विधवा-विवाह, सती प्रथा, सान काम समान वेतन, वेश्यावृत्ति जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर लगातार संघर्ष का ही परिणाम था कि इन सब बुराइयों के खिलाफ कानून बने। महिला-संगठन की ताकत का ही परिणाम था कि अंग्रेज सरकार को भी कई कानून बनाने पड़े। १९३५ में ही महिलाओं को हमारे यहाँ मतदान का अधिकार मिल गया, जबकि कई सारे विकसित देशों में यह अधिकार बाद में मिला।

महिला-फ़ैडरेशन से शुरू हुई महिला-संगठन की यह धारा आगे चलकर जनवादी महिला समिति, प्रगतिशील मंच से होकर कई सारे नक्सलवादी वामपंथी महिला संगठनों तक जाती है। इनके नेतृत्व में भी कई आन्दोलन हुए। १९१७ का श्री काकूलम का गैर-आदिवासियों से जमीन छुड़ाने का संघर्ष हो जिसमें महिलाओं ने हाथ में मिर्च पाउडर लेकर छापामार लड़ाई लड़ी थी अथवा १९७० का लाल निशान पार्टी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में खेतिहर महिला मजदूर का संघर्ष हो अथवा करीम नगर (आन्ध्र) चामवासा (बिहार) या मथुरा बलात्कार कांड जिसमें देश भर की महिलाएँ बलात्कार तथा पुरुष सत्ता के खिलाफ सड़क पर उतर आई थीं, आज भी महिलाओं के कारण ही जाने जाते हैं। अरूणा आसफ अली, विमला फारूकी, रेणु चक्रवर्ती, अहिल्या रंगणेकर, सुशीला गोपालन, पूर्णिमा बनर्जी, कमला देवी चटोपाध्याय, उषा महेता, दुर्गा भाभी, विमला रणदिवे, डॉ. सरोजिनी नायडू, मृणाल गोरे, तारा रेड्डी जैसे कई जाने-माने नाम उस समय के महिला-संगठन और संघर्ष के लिए याद किए जाते हैं। १९१८ में एनीबेसेंट की अध्यक्षता में कांग्रेस समर्थक ऑल इण्डिया वीमेस कौन्सिल का जन्म हुआ। यह संगठन मुख्य रूप से कानूनी सुधारों, शिक्षा और राजनीति में भागीदारी का पक्षधर था जिस कारण केवल मध्यमवर्गीय महिलाओं की भागीदारी ही इनके साथ हो सकी जो पारम्परिक ढाँचे की हिमायत थीं। इन पर महात्मा गांधी का प्रभाव भी था जो सीता को आदर्श मानते थे। गांधी की सोच तथा व्यावहारिक दृष्टि के कारण स्वतन्त्रता संघर्ष में हजारों महिलाओं ने भाग लिया। परन्तु महिला की स्वतंत्र अस्मिता तथा बराबरी की सोच इस लड़ाई में नहीं उभर सकी। १९२७ में राष्ट्रीय स्तर



पर ऑल इण्डिया वीमेंस कांफ्रेंस बनी, जिसकी सोच प्रगतिशील थी। इस संगठन ने जिसका नेतृत्व पूर्णरूप से महिलाओं के हाथ में ही था शिक्षा, बराबरी का अधिकार, बाल-विवाह, वृहद-विवाह और विवाह-विच्छेद रोकने का अभियान चलाया। १९३० में नमक सत्याग्रह, १९३२ में सविनय अवज्ञा आन्दोलन, १९४२ में भारत छोड़ो आन्दोलन जैसे महत्वपूर्ण संघर्षों में भी हजारों महिलाओं ने घर-बार छोड़कर भाग लिया। १९४१ में कबीर ५ हजार महिलाओं ने पर्दा-प्रथा के खिलाफ एक सम्मेलन का आयोजन किया। १९०५ में बंगाल विभाजन विरोधी आन्दोलन में महिलाओं ने 'राखी बाँधने' और 'रसोई बनाने' के बहिष्कार का नारा दिया जो तत्कालीन समाज के हिसाब से क्रान्तिकारी था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् धीरे-धीरे राजनैतिक पार्टियों की महिला शाखा का प्रचलन बढ़ता गया और लगभग उनकी भूमिका पार्टी और उनके पुरुष साथियों की ताकत बढ़ाना ही रहा। इस कारण वे महिला मुद्दे पर भी एक साथ नहीं आ सकीं। बल्कि एक-दूसरे पर सोशलिस्ट, नारीवादी, वामपंथी, नारीवादी या भाजपाई नारीवादी जैसे आरोप लगाए जाने लगे। राजनैतिक ताकतें नारी-आन्दोलन का दोहन करने लगीं। इसका उभरा हुआ रूप आज महिला आरक्षण के मुद्दे पर स्पष्ट दिखाई देत है। कितने आश्चर्य की बात है कि कई पार्टियों के नेतृत्व में महिला सबसे ऊपर रही पर महिला हित के लिए उसने कुछ काम नहीं किया। आज भी पार्टियों से जुड़े महिला-संगठनों की अपनी छुट-पुट ताकत है पर एक साथ आने की कमी और आपसी दुश्मनी से उसका अहसास नहीं हो पाता। चूँकि घुर दक्षिण और धुर वाम के बीच एकता न तो संभव है और न होनी चाहिए पर वामपंथ के भी तो कई खेमे हैं? पुरुषवादी वर्चस्व की स्थिति वामपंथी पाठियों में भी आज उभर आयी है, तभी तो उनके नेतृत्व की पहली पायदान पर आज एक भी महिला नहीं दिखती। उनके महिला-संगठन भी अब शोभा की की सुपारी बन कर रह गए हैं। राजनैतिक महिला-शक्ति की इस निष्क्रियता और ठहराव के पश्चात् पिछले दो-ढाई दशक से स्वायत्त अथवा स्वतंत्र महिला-संगठनों की सक्रियता बढ़ी है।

### स्वायत्त महिला समूह :

१९७५ का साल पूरी दुनिया के समान भारत की महिलाओं के लिए भी मील का पत्थर सिद्ध हुआ है। यह वह साल था जब भारत में स्वतंत्र महिला-संगठनों की शुरुआत हुई। इन संगठनों का पहला महिला मुक्ति सम्मेलन पूना में इसी वर्ष आयोजित हुआ। १९७५ में ही संयुक्त राष्ट्र संघ के आग्रह पर भारत में बने महिला आयोग की रपट भी प्रकाशित हुई जिसने सम्पूर्ण भारतवर्ष में काफी हलचल मचा दी। इसी साल को महिला वर्ष के रूप में भी पहचाना गया। इसी समय मैमिनिष्ट नेटवर्क और मानुषी जैसी महिला पत्रिका भी प्रारम्भ हुई। आगे १९७५ से १९८५ का दशक महिला दशक भी घोषित हुआ। निश्चित ही इन दो-ढाई दशकों



(१९७५ से १९९९) में गैर राजनैतिक महिला समूहों ने अपनी पहचान बनाई है और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इस दौर के कई सारे संघर्ष उनके हक में जाते हैं। देवराला सती की बात हो, मथुरा या भँवरीबाई के साथ हुए बलात्कार का मुद्दा हो, गर्भजल परीक्षण के खिलाफ संगठित संघर्ष हो अथवा परिवार-नियोजन के खतरनाक साधनों के खिलाफ उठी आवाज या अभी ताजा-ताजा महिला आरक्षण का मुद्दा हो, सभी के संघर्ष में इन स्वतंत्र महिला-संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। दहेज कानून, विवाह कानून, बलात्कार कानून, अपराध कानून, सम्पत्ति कानून और समान वेतन अधिनियम में संशोधन, पारिवारिक अदालतों की स्थापना, महिला थाने की शुरूआत आदि इसी संघर्ष के दौरान हुई। उत्तराखण्ड में गौरा देवी के नेतृत्व में पर्यावरण के खिलाफ चला 'चिपको आन्दोलन' जिसमें ९० प्रतिशत महिलाओं की भूमिका थी या एक हद-तक बड़े बाँधों के विरोध में चला 'नर्मदा बचाओ आन्दोलन' भी महिला, संगठित संघर्ष की याद दिलाता है। ये आन्दोलन राजनैतिक न होते हुए भी राजनैतिक सोच के आन्दोलन थे। और इन्होंने राजनैतिक पार्टी तथा गैर सरकारी संगठन दोनों से हटकर अपनी स्वतन्त्र और स्वायत्त सोच विकसित की। इनका मानना है कि हम अपनी परेशानी, कष्ट को सही तरह से समझें, आपस में एकता बनाएँ और इस पुरुषवादी सत्ता के खिलाफ लड़ें। व्यक्तिगत समस्या को अपनी लड़ाई का हथियार बनाएँ। जबकि राजनैतिक पार्टी से जुड़े महिला संगठनों के लिए महिला का मुद्दा भी एक समग्र परिवर्तन की लड़ाई का मुद्दा है। यह व्यवस्था परिवर्तन की सोच तक जाती है।

१९७५ का साल इसलिए भी महत्वपूर्ण था कि भारत में पहली बार महिलाओं के हर पहलू का जायजा लेने वाली रपट प्राकशित हुई जिसने आजादी के उपरान्त (और संभवतः उससे भी पूर्व) देश में हिला के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य आदि पहलुओं की विस्तृत व्याख्या की। इसके बाद महिला मुद्दों को राजनैतिक, आर्थिक अथवा सामाजिक नजरिये से देखने की शुरूआत भी हुई। पहले महिला बराबरी या मुद्दों का मतलब मात्र दहेज या बाल-विवाह का विरोध ही था। इस रपट ने जहाँ देशभर में महिला की खराब हालत को उजागर किया वहीं उन्हें सक्रिय होने के लिए प्रेरित भी किया। वहीं भारत सरकार के आँख, कान खोलने में भी यह रपट महत्वपूर्ण रही। कहते हैं सबसे ज्यादा महिला-समूह संस्थाएँ इसी दौरान बनीं। परन्तु ये प्रायः महानगरों, नगरों तक ही सीमित रही और उनका नेतृत्व भी ध्यम, उच्च मध्यमवर्गीय महिलाओं के हाथ ही रहा। दिल्ली जैसे महानगरों में इस दौरान महिला-संगठनों की बाढ़-सी आ गई। यूनेस्को द्वारा घोषित महिला दशक के विराट कोष और विश्वस्तरीय आयोजनों में भाग लेने की सुविधा ने ऐसे ढेरों संगठनों को जन्म दिया। इन महिला-समूहों पर काफी हद तक पश्चिम के नारीवाद का प्रभाव था। यही कारण है कि ब्रा-बर्न्स



सोसाइटी (चोली जलाओ समूह) से लेकर पुरुषों के समान सिगरेट एवं दारू (जो कि किसी के लिए भी सही नहीं है) पीने को स्वतंत्रता माना गया। सेक्स के मुद्दे को भी बहुत ही अराजक तरीके से प्रस्तुत किया गया और उसे महिला स्वतंत्रता कहा गया।

वास्तव में भारतवर्ष के नारीवादी (स्वायत्त) आन्दोलन ने अपने देश, समाज की जमीन को नकार क रजिस पश्चिम की नकल की वहाँ का समाज ऐतिहासिक विकास-यात्रा के परिणामस्वरूप काफी आगे निकल चुका था। वहाँ के समाज में पुरुष के स्वामित्व और वर्चस्व के रूप सूक्ष्म थे। पूँजीवादी जनतांत्रिक मूल्य होने के कारण वहाँ स्त्री शोषण का नग्न रूप दिखाई नहीं देता था। वहाँ प्रश्न नारी की अस्मिता का था, उपभोक्ता समाज की विकृतियों का था, सत्ता में भागीदारी का था, तथा इन सबके खिलाफ जनमानस तैयार करने का था। उसके एकदम विपरीत हमारे समाज में मध्ययुगीन नारी शोषण का धिनौना रूप कायम था जहाँ आज भी बहुएँ दहेज के लिए जलाई जा रही थी, पति के साथ महिला को सती होने के लिए उकसाया जा रहा था, जहाँ बलात्कार और हिंसा की संख्या बढ़ रही थी, जहाँ डायन कह कर उसे मारा जा रहा था, और जहाँ आज भी महिला की भूमिका माँ, बेटी या बहिन की ही थी। समाज में विकास की गति धीमी थी। झूठे मूल्य, मान्यताएँ तथा नैतिकता पुरुष ने ही महिला के लिए बनाई थीं जिसे बाद में पूँजीवाद ने भी अपना लिया। समाज के अधिकांश क्रिया-कलापों में नारी की कोई भूमिका नहीं थी। ऐसी सब सच्चाइयों को नकार कर या अनजाने में ही खड़ा हुआ नारी आन्दोलन आखिर कितने दिन जिन्दा रहता? गाँवों, कस्बों अथवा शोषित, पीड़ित, उपेक्षित तबके की महिला से कटे जाने के कारण भी इस आन्दोलन की सोच जिस जमीन से पैदा हुई थी वह मुट्ठी भर भी और वहीं तक सिमट कर रह गई। यह भी कहा जाता है कि यह महिलाओं की वास्तविकता को नहीं जान पाया। यह पूरा आन्दोलन आधी आबादी के आर्थिक शोषण, यौन शोषण, उत्पीड़न, पुरुष की गुलामी परम्परा और मूल्यों की दिमागी गुलामी, अलगाव आदि को ठीक से अनुभव नहीं कर पाया। आज भी अधिकांश नारी-संगठन शहरों की मध्यमवर्गीय, शिक्षित औरत तक सिमट कर रह गए हैं। अभी भी किसान मजदूर और की व्यापक आबादी इनसे कोसों दूर है। आम मध्यम वर्ग की औरत भी ऐसे महिला-संगठनों को नहीं जानती है। शायद यही सब कारण है कि पर्याप्त समय के उपरान्त भी स्वायत्त महिला आन्दोलन लगभग ठंडा पड़ने लगा है (जिसकी स्वीकृति कभी-कभी यत्र-तत्र सुनाई भी देती है) अथवा सेमिनारों, भाषणों या संगोष्ठियों में सिमट कर रह गया है। अपने समाज को ठोस परिस्थितियों, जातीय परम्पराओं अथवा लड़ने वाले या पीड़ित समुदाय के व्यापकतम हिस्से के कटाव से खड़े हुए किसी भी आन्दोलन का शायद यह अनिवार्य परिणाम है। इसके अभाव में कोई भी संगठन या आन्दोलन जिन्दा नहीं रह सकता। आन्दोलन की कमजोरी का ही परिणाम है



कि आज नारी के प्रताड़ित होने का धिनौना रूप पुनः उभर रहा है। सरे आम महिला को नंगा करने की बात हो, हर क्षण होने वाली बलात्कार की घटना हो, भ्रूण हत्या का मुद्दा हो, दहेज हत्या की बढ़ती संख्या हो या विज्ञापन में नंगे करने की बात, नारी लगातार पूंजीवादी पुरुष सत्तात्मक ढाँचे की शिकार होती जा रही है और उनको संगठित करने अथवा उनके साथ खड़ा-होने वाला कोई नहीं।

**नारी मुक्ति सम्मेलन द्वारा जारी घोषणा पत्र :**

‘स्वायत्त महिला-समूहों का छठवाँ सम्मेलन दिसम्बर, १९९७ में राँची में सम्पन्न हुआ। इस सम्मेलन में छोटे-छोटे महिला समूह-संगठन और व्यक्तियों के अतिरिक्त कई नक्सलवादी महिला संगठनों ने भी भाग लिया। इस सम्मेलन में पारित घोषणा पत्र की कुछ प्रमुख बातें निम्न हैं -’

यह घोषणा पत्र हमारे विचारों, राजनीति और महिला आन्दोलन के प्रति हमारी वचनबद्धता की अभिव्यक्ति है। हम अलग-अलग महिला-समूहों व संस्थाओं से भी हैं व व्यक्तिगत रूप में भी इस सम्मेलन में सम्मिलित हुईं। हम अलग-अलग राज्यों, नगरों, और गाँवों की विभिन्न राजनैतिक धाराणाएँ लिए हुए अलग-अलग धर्म और संस्कृति को मानने वाली, अलग-अलग वर्ग, जाति और भाषाएँ बोलने वाली औरते हैं। हम सभी समाज के अत्याचारी ढाँचे को चुनौती देने के लिए कार्यरत हैं। हम एक-दूसरे से जुड़ने की, अपने संघर्षों पर चर्चा करने की और हमारी एकता को अभिव्यक्त करने की आवश्यकता अनुभव करते हैं।

हम कहना चाहेंगी कि औरतें पुरुषों से निम्न या कमजोर नहीं होतीं। समाज ने जैविक अन्तर का इस्तेमाल स्त्री/पुरुष के बीच एक क्रमबद्ध और अत्याचारी सम्बन्ध बनाने के लिए किया है। औरत हो के नाते हम सब एक प्रबल वर्ग, जाति और पितृसत्तात्मक ढाँचे के शोषण और दमन की शिकार हैं। घर और बाहर लिंग आधारित काम के बँटवारे से हमारे श्रम पर नियंत्रण किया गया है।

इसके अलावा हमारे शरीर को बाजारू व एक उपभोग की वस्तु बना दिया गया है। परिवार, बाजार, मीडिया, शिक्षा, धर्म तथा कानूनी संस्थाएँ इस उत्पीड़न को मजबूत करने में सहायता करती हैं।

हम वर्षों से महिलाओं संबंधी विशेष विषयों, जैसे- बलात्कार, दहेज हत्या, लिंग-जाँच-पड़ताल, मादा भ्रूणों का गर्भपात, परिवार-नियोजन कार्यक्रम की जबरदस्ती, अश्लील साहित्य आदि को संबोधित करते आ रहे हैं। इस आन्दोलन ने पर्यावरण, आवास आदि मुद्दों को भी उठाया है। हमारा विश्वास है कि ये सब मुद्दे महिलाओं से सम्बन्ध रखते हैं और हर विषय को औरतों



के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। बहुत सी औरतें आदिवासियों और किसानों के अधिकारों, भूमि अधिकारों, पर्यावरण और श्रमिक-वर्ग के संघर्षों में भाग ले रही है जिससे इन संघर्षों को ताकत मिल रही है। विभिन्न संघर्षों के बीच सम्बन्ध बनाना जरूरी है, इससे हम एक-दूसरे की ताकत बढ़ा पाएंगे।

हम मौजूदा विकास मॉडल पर मूल रूप से आपत् है क्योंकि इसमें केवल प्रभावी वर्ग/जाति का निहित स्वार्थ सिद्ध होता आया है। इसके फलस्वरूप श्रमिक-वर्ग का एक बड़ा भाग कंगाल होता चला गया है व एक भयंकर संकट खड़ा हो गया है। महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और निर्धन किसानों का सबसे अधिक शोषण किया गया है। विकास की विकृति की यह अवस्था है कि औरतों के विकास के लिए बने कार्यक्रमों तक में औरतों के श्रम का शोषण हो रहा है।

नई आर्थिक नीति तथा वर्तमान सुधार नीतियाँ इस सिद्धान्त पर आधारित हैं कि पूँजी को अधिकतम मुनाफा बनाने की हर सुविधा की जानी चाहिए क्योंकि इससे घरेलू और विदेशी पूँजी क्षेत्रों से अधिक पूँजी निवेश होगा। फलतः विकास की दर में वृद्धि होगी।

हम असहमत हैं कि पूँजी के लिए अधिकतम मुनाफे का रास्ता ही आर्थिक विकास का सबसे अच्छा मार्ग है। इस तर्क की वजह से खास नीतिगत बदलाव किये गए जो औरतों और मजदूरों के सदियों के योगदान को नकारते हैं। परिणामतः अमीर और भी अमीर हो रहे हैं जबकि गरबी और भी ज्यादा गरीब। यही नहीं, आज बाजार की महत्ता के फलस्वरूप बढ़ते उपभेक्तावाद व दृश्य संचार माध्यमों के व्यापक फैलाव ने मिलकर औरतों के अश्लील प्रदर्शन व वस्तुकरण को प्रोत्साहन दिया है। कई औरतें अनौपचारिक रूप से कम तनख्वाह पर असुरक्षित काम कर रही हैं।

वार्षिक बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाओं पर खर्च लगातार कम किया जा रहा है, हम इस नीति के खिलाफ हैं। नई आर्थिक-नीति और विकास नीतियों का औरतों के वैतनिक और अवैतनिक श्रम पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। औरतों का घरेलू श्रम अदृश्य होता है, हम उन सब आर्थिक नीतियों के खिलाफ हैं जो औरतों पर बोझ बढ़ाती हैं और उन पर उल्टा असर डालती हैं।

हम एक ऐसे आर्थि ढाँचे के प्रति वचनबद्ध हैं जो लोगों को रोजगार की गारंटी दे, आबादी के हर वर्ग की आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी सुनिश्चित करे और इसके फायदे के सभी भागीदार हों।



औरतें अपने शरीर और स्वास्थ्य पर नियंत्रण पाने की दिशा में संघर्ष कर रही हैं, क्योंकि वे जान गई हैं कि स्वस्थ होने का अर्थ केवल रोग की गैर मौजूदगी या शरीर ठीक से काम करना नहीं है। इसमें व्यक्ति की सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक बेहतरी भी सम्मिलित है। हम सक्रिय रूप से अभियान चला रहे हैं - उन भेदभावों के खिलाफ, जिनसे औरतों का स्वास्थ्य स्तर गिर रहा है, हानिकारक प्रजनन तकनीकों द्वारा किए गए नुकसान व शारीरिक अत्याचार और दिन-प्रतिदिन घटी स्वास्थ्य सेवाओं के खिलाफ। औरतों के स्वास्थ्य को सिर्फ उनके प्रजनन-तंत्र के स्वास्थ्य तक सीमित करना हमें मान्य नहीं व यहीं संघर्ष का केन्द्र-बिन्दु है जो औरतों पर जबरदस्ती अपने लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश करता है। स्वास्थ्य-शिक्षा, आत्मसहायता, सुरक्षित गर्भ-निरोधक, स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुँच और वैकल्पिक इलाज के तरीकों का समर्थन और मूल्यांकन हमारे वैकल्पिक स्वस्थ दृष्टिकोण का अहम हिस्सा हैं।

लिंग, जाति, देश, वर्ग, धर्म व यौनिकता, गहरी जड़ पकड़ी हुई हैं जो प्रत्येक व्यक्ति में अभिव्यक्त होती है। इतिहास के प्रत्येक क्षण में व्यक्त की कौन-सी पहचान उसे कब शक्ति देगी, यह सामाजिक सम्बन्ध निधारित करते हैं। हमारा संघर्ष ऐसी किसी भी पहचान के दावे के विरुद्ध है जो औरों की पहचान और अस्तित्व पर आक्रमण करे। जैसे कि हम कट्टरपंथी हिन्दुत्व के विरुद्ध हैं जिनका दम कुछ औरतें और मर्द भर रहे हैं। औरत होने की पहचान को मजबूत करना महिला आन्दोलन का अभिमुख बिन्दु रहा है। इम उन औरतों के सशक्तिकरण का समर्थन करते हैं जो पहचान के कुछ और कमजोर पहलुओं, जैसे-आदिवासी, दलित, निर्धन, श्रमिक, समलैंगिक या द्विलैंगिक आदि होने के कारण हाशिए पर धकेल दी गई हैं।

हम अपने जीवन, शरीर, लैंगिकता और आत्मीय सम्बन्धों के सम्बन्ध में चुनाव कर पो के अधिकार की माँग करती हैं। हम में से कुछ एकल है, कुछ विवाहित हैं, कुछ औरतों के साथ भावनात्मक लैंगिक-शारीरिक-आंतरिक सम्बन्ध हैं, कुछ के मर्दों से और कुछ औरतों के दोनों से सम्बन्ध है। हमारे बीच ऐसी भी औरतें हैं जो किसी के साथ भी यौन सम्बन्ध नहीं रखतीं। हमें महसूस होता है कि हमें कुछ हिमायती ढाँचे विकसित करने होंगे जो हमारी इन भावनाओं को अर्थपूर्ण सच्चाई बनाने में मददगार हों।

औरतों के खिलाफ हिंसा का मुद्दा भी हमारी चिन्ता का विशेष क्षेत्र है। हमें विश्वास है कि औरतें हिंसा का शिकार इसलिए बनती हैं क्योंकि वे मर्दों के अधीन हैं। हिंसा का एक और व्यापक रूप अब दिखाई दे रहा है वह है यौन उत्पीड़न और आक्रमणशील पौरुष, जो आगे बढ़कर औरतों, बच्चियों और किशोरियों से बलात्कार और हत्या में परिवर्तित होता है।





हमें ऐसे संघर्षों को मजबूत बनाना है जो पीड़ित औरतों को लगातार मदद करते हैं। हमें देखना है कि कानूनों में परिवर्तन हो तथा उन्हें लागू किया जाए। इसी तरह पुलिस और न्यायविदों के पूर्वाग्रहों को दूर करने के लिए भी संघर्ष करना है।

हम स्त्रियों और पुरुषों पर राजसत्ता द्वारा की गई हिंसा की निन्दा करते हैं। दोनों ही पुलिस, अर्द्ध-सैनिक बलों और सेना के हाथों कष्ट झेलते हैं विशेषतः अल्पसंख्यक, जैसे-आदिवासी, दलित, मुस्लिम और पंजाब, कश्मीर एवं उत्तरपूर्वी क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग। सामूहिक बलात्कार को शासन और शक्तिशाली वर्ग दबाने के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे-जैसे आर्थिक संकट आदि का दबाव बढ़ता जाता है वैसे-वैसे समस्याओं का हल खोजने की बजाय राजसत्ता जन संघर्षों को दबो के लिए अधिक हिंसा पर उतर आती है।

### संदर्भ :

1. कार्यशील महिलाओं का समजा में बदलता स्वरूप, ले. श्रीमती मजू शर्मा, राज पब्लिशिंग हाऊस, जयपुर। पृ. ५८
2. सामाजिक समस्याएँ, अनंदा प्रकाशन, अमदावाद।
3. समायोजन मनोविज्ञान, लिबर्टी, पब्लिकेन्सन, अमदावाद।
4. असरकारक वर्तन का मनोविज्ञान, डॉ. अरविन्द शाह पार्श्व पब्लिकेन्सन, अमदावाद।
5. [www.google.working womens problems and issue](http://www.google.working%20womens%20problems%20and%20issu)
6. [www.google.samajiksamsyaareachars](http://www.google.samajiksamsyaareachars)